

हरियाणा सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

क्रमांक 22/152/2016-4जी0एस0111

दिनांक 28.7.2017

सेवा में,

1. हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रशासकीय सचिव।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष।
3. रोहतक, गुडगांव, हिसार एवं अम्बाला मण्डलों के आयुक्त।
4. सभी बोर्डों/निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी मुख्य प्रशासक तथा प्रबन्धक निदेशक।
5. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
6. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)।
7. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार।

विषय:- निःशक्त जन की चुनावी ड्यूटी न लगाने बारे।

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आप का ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊ तथा अनुरोध करूँ कि चुनाव ड्यूटी देने में असमर्थ निःशक्त कर्मचारियों के नाम चुनाव ड्यूटी हेतु भेजी जाने वाली सूची में न डाले जाये।

उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,  
0/0 कृते मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

पृ0 क्रमांक 22/152/2016-4जी0एस0111

दिनांक 28.7.2017

है:-

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. आयुक्त, निशक्त जन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
2. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़
3. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
4. प्रधानाचार्य, हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान, सैक्टर-16 पंचकूला।

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,  
0/0 कृते मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

आन्तरिक वितरण

उपरोक्त निर्देशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर डालने के लिए एनआईसी प्रभारी उत्तरदायी होगा।